



2026:AHC:172502

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध अग्रिम जमानत आवेदन अन्तर्गत धारा 482 बीएनएसएस

संख्या - 8362 वर्ष 2026

आमिर

.....आवेदक (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और एक अन्य

.....प्रतिपक्षी (गण)

आवेदक (गण) के अधिवक्ता

: ए.जेड. खान

प्रतिपक्षी (गण) के अधिवक्ता

: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 71

माननीय न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ला

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता, राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता की बात सुनी और अभिलेख का अवलोकन किया।
2. वर्तमान अग्रिम जमानत याचिका आवेदक की ओर से प्रकरण अपराध संख्या 202 वर्ष 2026, धारा 85, 115(2), 123 भारतीय न्याय संहिता और धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत, थाना- मंडी, जिला सहारनपुर में दायर की गई है, जिसमें आवेदक को अग्रिम जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना की गई है क्योंकि आवेदक को उपरोक्त प्रकरण में अपनी गिरफ्तारी का डर है।
3. आवेदक के अधिवक्ता का कहना है कि आवेदक घायल महिला का पति है। आरोप है कि नामजद आरोपियों, जिनमें आवेदक भी शामिल है, ने घायल महिला को कोई जहरीला पदार्थ दिया है। ये आरोप पूरी तरह से झूठे हैं। घायल महिला की चिकित्सा जांच में चोट का कोई ताजा निशान नहीं मिला। प्राथमिकी देरी से दर्ज की गई थी। आवेदक का कोई पूर्व आपराधिक अभिलेख नहीं है।



4. आवेदक के अधिवक्ता ने आगे कहा कि घायल महिला ने अपने एक शिशु को आवेदक की देखरेख में छोड़ा है। आवेदक के अधिवक्ता ने यह भी कहा है कि आवेदक विवेचना में और यदि कोई मुकदमा हो तो उसके शीघ्र निस्तारण में सहयोग करेगा।
5. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत की अर्जी का विरोध करते हुए कहा है कि आवेदक मुख्य आरोपी है। विवाह 25.5.2025 को हुआ था और एक वर्ष के भीतर ही आवेदक और अन्य आरोपियों ने दहेज की मांग को लेकर घायल को जान से मारने की कोशिश की थी।
6. हालांकि, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने इस तथ्य से इनकार नहीं किया है कि आवेदक का कोई पूर्व आपराधिक अभिलेख नहीं है।
7. मैंने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं द्वारा दिए गए तर्कों पर विचार किया है।
8. पीड़िता की चिकित्सा सूचना से पता चलता है कि उसके शरीर पर चोट के कोई नए निशान नहीं थे। प्राथमिकी में वर्णित घटना और धारा 180 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत दर्ज पीड़िता के बयान के आधार पर, न्यायालय की प्रथम दृष्टया राय में, आवेदक को झूठा फंसाए जाने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है।
9. यह स्वीकार किया गया है कि जब सूचना देने वाला और अन्य व्यक्ति कथित तौर पर आवेदक के घर आए और उसे शासकीय अस्पताल ले गए, तब घायल का ससुर वहां मौजूद था।
10. प्रकरण के सभी तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, अग्रिम जमानत देने के लिए प्रथम दृष्टया प्रकरण बनता है।
11. उपरोक्त के मददेनजर, आवेदक की अग्रिम जमानत याचिका स्वीकार की जाती है।
12. आवेदक **आमिर** की गिरफ्तारी की स्थिति में, उसे उपरोक्त प्रकरण में अग्रिम जमानत पर वर्तमान रिहा कर दिया जाएगा, बशर्ते वह संबंधित थाना/न्यायालय के थाना प्रभारी की संतुष्टि के अनुरूप समान राशि का व्यक्तिगत बांड और जमानती प्रस्तुत करे, निम्नलिखित शर्तों के साथ:-
 - i. आवेदक आवश्यकता पड़ने पर पुलिस अधिकारी द्वारा पूछताछ के लिए उपलब्ध रहेगा;
 - ii. आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रकरण के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा जिससे उसे न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके;
 - iii. आवेदक न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेगा;

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



iv. आवेदक अभियोजन पक्ष के गवाह पर दबाव/धमकी नहीं देगा;

13. उपरोक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, संबंधित न्यायालय जमानत रद्द करने के लिए स्वतंत्र होगा।

14. यह स्पष्ट किया जाता है कि ऊपर दिए गए अवलोकन केवल इस अग्रिम जमानत याचिका पर निर्णय लेने के लिए हैं और इन्हें प्रकरण की गुण-दोष पर राय नहीं माना जाना चाहिए।

(न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ला)

14 अगस्त, 2026

एस.ए.